राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक : एफ 165(13)पराविं/लेखा/पी.एफ.एम.एस./2019–20/पार्ट–।।/982 जयपुर, दिनांकः–07.08.2023 10-8-23

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद– समस्त।

विषय :–ई–ग्राम स्वराज, पीएफएमएस एवं ई–पंचायत सॉफ्टवेयर पर कार्य का आवंटन हेतु निर्देशो का पालन करने के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत देय अनुदान राशि PFMS (पब्लिक फाइनेंसियल मेनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की जाती है। जिसके कम में विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतो को मूल अनुदान (अनटाईड) एवं बन्ध अनुदान (टाईड अनुदान) **उक्त अनुदान राशि के रिसिप्ट वाउचर कोषालय सचिवालय, जयपुर एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जयपुर के समन्वय से** Reverse Receipt Information(Treasury-PFMS-eGSIntegration) **ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायती राज संस्थाओं को प्रेषित किये जाते है।**

उक्त प्रकरण अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग अनिवार्य रूप से PRIASoft-PFMS Interface (PPI) के माध्यम से ही किये जाने एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि के समुचित वितरण एवं उपयोग में पारदर्शिता हेतु PRIASoft-PFMS Interface (PPI), e-Gram Swaraj Portal के माध्यम से अनिवार्य रूप से किये जाने बाबत् पूर्व में निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि ई–ग्राम स्वराज, पीएफएमएस व ई–पंचायत सॉफ्टवेयर पर कार्य संपादन हेतु पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों कार्यालय में पदस्थापित स्थायी लेखा कार्मिक (लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय) द्वारा ही उक्त कार्य संपादित किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से अधिकृत किया जाता है।

गौरतलब है कि किसी भी वर्कचार्ज या अस्थाई कर्मचारी द्वारा ई–ग्राम स्वराज, पीएफएमएस व ई–पंचायत सॉफ्टवेयर पर कार्य संपादित कराये जाने पर वित्तीय अनुशासन कायम रखने में समस्यां उत्पन्न होती है, साथ ही वित्तीय अनियमितता की संभावना होती है।

अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ 165(13)पराविं/लेखा/पी.एफ.एम.एस./2019–20/पार्ट–।।/ जयपुर, दिनांकः–07.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(देवकीनन्दन शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

Allfiles/PC/15thFC/